

[1]

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 379/2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/549)

निर्णय दिनांक: 12-02-2026



1. अंग्रेज सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 2-3, डीएम बरसलपुर तहसील बज्जू जिला बीकानेर हाल निवासी चक हरिपुरा हनुमानगढ़, राजस्थान।

—अपीलांट

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 19-02-2010
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19-02-2010 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 2-3 डीएम के मुरब्बा नम्बर 228/60 तादादी 11 बीघा कमाण्ड एवं 13.05 बीघा अनकमाण्ड कुल तादादी 24

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बीघा 05 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्य जिले का निवासी होने के कारण वरियता में नही आने के आधार पर अपीलांट के आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सबूतों की अनदेखी करते हुए मात्र अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने के उद्देश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।



इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट अन्य जिले का निवासी होने के कारण वरियता में नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि अपीलांट उक्त आवेदित रकबे में वरियता में भूमि आवंटित नहीं करवा सका है तो विशेष आवंटन के नियमों के तहत अपीलांट आज भी भूमि पाने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट का पेशा खेती का है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। आरआरटी 2014-15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

[Handwritten Signature]

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोंडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।



प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्नांकित आधारों पर खारिज किया गया है—

1. सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र नहीं होना।
2. निर्वाचन सूची नहीं होना।
3. अन्य जिले का निवासी होने से वरियता नहीं होना।

(Handwritten signature)

राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर


[4]

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांत द्वारा मूल निवास, सद्भाविक कृषक होने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, निर्वाचक पहचान पत्र, आदि समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि अपीलांत बीकानेर जिले का निवासी न होकर हनुमानगढ़ जिले का निवासी है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19-02-2010 द्वारा अन्य जिले का निवासी होने से वरियता में नही होने के आधार पर अपीलांत का आवेदन निरस्त किया है परन्तु पत्रावली पर आदेशिका में कही भी यह उल्लेखित नहीं है कि प्रश्नगत भूमि हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए। किन-किन व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए? समस्त आवेदकों का वरियता क्रम क्या था? अपीलांत का वरियता क्रम कौनसा था?



अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि समस्त आवेदनो की जाँच करते हुए उनको वरियता क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हुए वरियता नम्बर तय करना था। तदनुसार प्रथम वरियता के आवेदक को भूमि का आवंटन किया जा सकता था। वर्तमान नियमों के अनुसार जो आवेदक इस प्रक्रिया के तहत भूमि आवंटन नहीं करवा सके वे नियमानुसार अन्यत्र भूमि आवंटित करवा सकते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल आवेदनो का विवरण दिये बिना तथा आवेदकों का वरियता क्रम तय किये बिना अपीलांत का आवेदन वरियता में नही होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। अन्य जिले का निवासी होना आवंटन के लिए अपात्रता नहीं है। यदि एकल आवेदन हो तो किसी भी जिले के निवासी को आवंटन किया जा सकता है।


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

[5]

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:—**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं हो तो अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों की जांच करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रों के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 12.02-20को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

